

न्यायालय सहायक कलक्टर जायल जिला, नागौर  
पिठारीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एरा0)

राजस्व वाद संख्या- 69/2018

- 1- रामनिवास पुत्र सुरजाराम
- 2- किशनाराम पुत्र सुरजाराम
- 3- कैलाश पुत्र मनीराम नाबालिक होने से जरिये संरक्षक चाचा वादी रामनिवास पुत्र सुरजाराम सभी जातियान जाट निवासीगण जायल तहसील जायल जिला नागौर।

.....वादीगण

बनाम

- 1- सुरजाराम पुत्र चुनाराम उर्फ चैनाराम
- 2- लिछमादेवी पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी जायल जिला नागौर।
- 3- सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:-


- 1- अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा वादीगण की ओर से।
- 2- अधिवक्ता श्री शिवकुमार पाराशर वादीगण की ओर से।
- 3- अधिवक्ता श्री अम्बालाल पाराशर प्रतिवादी सं. 01 व 02 की ओर से।

-: निर्णय :-

दिनांक : 09.08.19

वादी वादीगण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं वादीगण व प्रतिवादीगण के बड़े की पुत्रौनी भूमि मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 56 रकबा 18 बीघा 06 बिस्वा, खेत खसरा नं 718 रकबा 16 बीघा, खेत खसरा नं 724 रकबा 21.12.15 बीघा, खेत खसरा नं 760 रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा, खेत खसरा नं. 1440/2 रकबा 002 बीघा, खेत खसरा नं. 1475 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा, खेत खसरा नं. 1495/7 रकबा 008 बीघा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी सहमति व जुगानी बटवाड़ा सम्वत 2072 को कर लिया है। बटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार है:-

1. यह है कि वादी सं 01 रामनिवास के हक बट कब्जाकारत व खातेदारी में वाके मौजा जायल के खेत खसरा नं. 56 रकबा 18 बीघा 06 बिस्वा रखा गया।
2. वादी सं 02 किशनाराम के हक बट कब्जाकारत व खातेदारी में वाके मौजा जायल के खेत खसरा नं. 718 रकबा 16 बीघा में से 08 बीघा उत्तरी भाग तथा खसरा नं 724 रकबा 21.12.15 रकबा 10.16.07 बीघा दक्षिणी हिस्सा रखा गया है।
3. वादी सं. 03 कैलाश के हकबट कब्जाकारत व खातेदारी में वाके मौजा जायल के खेत खसरा नं. 718 रकबा 16 बीघा में से 08 बीघा दक्षिणी भाग तथा खेत खसरा नं. 724 रकबा 21.12.15 बीघा में से 10.16.08 बीघा उत्तरी भाग रखा गया है।
4. कि वादी सं. 01 से 03 के समुक्त बट एवं खातेदारी में ग्राम जायल के खेत खसरा नं. 760 रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा संयुक्त रूप से रखा गया।
5. कि प्रतिवादी सं 01 व 02 क्रमशः सुरजाराम व लिछमा के समुक्त बट एव खातेदारी में मौजा जायल के खेत खसरा नं. 1440/02 रकबा 002 बीघा, खेत खसरा नं. 1475 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नं. 1495/07 रकबा 008 बीघा संयुक्त रूप से रखा गया है।
6. कि वादी कैलाश की उम्र 13 वर्ष तथा कैलाश के अलावा अन्य कोई वारिसान स्वर्गीय मनीराम के नहीं है। कैलाश के संरक्षक का जिम्मेवारी वादी चाचा रामनिवास ही करता आया है। तथा इनके हितों का ख्याल रखा है इसलिये पक्षकार जरिये वादी रामनिवास को बनाया गया है।

  
सहायक कलक्टर  
जायल जिला नागौर

अतः दावा पेश कर इत्यादुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क, ख, ग, घ ङ व च के अनुसार डिक्री सादिर फरामाई जाने।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 से 02 की और से वकील अम्बालाल पाराशर ने राजीनामा प्रस्तुत किया।

वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 से 02 के बीच राजीनामा होने के कारण वाद में विवादक बिन्दु तय नहीं किये गये। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ताओ वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी सं. 01 से 02 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। सभी पक्षकारों में राजीनामा होने के कारण राजीनामे के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :-

1. यह है कि वादी सं. 01 रामनिवास के हक बंट कब्जाकारत व खातेदारी में वाके मौजा जायल के खेत खसरा नं. 56 रकबा 18 बीघा 06 बिस्वा रखा गया।
2. वादी सं. 02 किशनाराम के हक बंट कब्जाकारत व खातेदारी में वाके मौजा जायल के खेत खसरा नं. 718 रकबा 16 बीघा में से 08 बीघा उत्तरी भाग तथा खसरा नं. 724 रकबा 21.12.15 रकबा 10.16.07 बीघा दक्षिणी हिस्सा रखा गया है।
3. वादी सं. 03 कैलाश के हकबंट कब्जाकारत व खातेदारी में वाके मौजा जायल के खेत खसरा नं. 718 रकबा 16 बीघा में से 08 बीघा दक्षिणी भाग तथा खेत खसरा नं. 724 रकबा 21.12.15 बीघा में से 10.16.08 बीघा उत्तरी भाग रखा गया है।
4. कि वादी सं. 01 से 03 के संयुक्त बंट एव खातेदारी में ग्राम जायल के खेत खसरा नं. 760 रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा संयुक्त रूप से रखा गया।
5. कि प्रतिवादी सं. 01 व 02 क्रमशः सुरजाराम व लिछमा के संयुक्त बंट एव खातेदारी में मौजा जायल के खेत खसरा नं. 1440/02 रकबा 0.02 बीघा, खेत खसरा नं. 1475 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नं. 1495/07 रकबा 0.08 बीघा संयुक्त रूप से रखा गया है।
6. कि वादी कैलाश की उम्र 13 वर्ष तथा कैलाश के अलावा अन्य कोई वारिसान स्वर्गीय मनीराम के नहीं है। कैलाश के संरक्षक का जिम्मेवारी वादी चाचा रामनिवास ही करता आया है। तथा इनके हितों का ख्याल रखा है इसलिये पक्षकार जरिये वादी रामनिवास को बनाया गया है।


—: आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एव परिस्थितियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पढा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

  
(सुरेश कुमार प्रथम)

सहायक कलक्टर जायल  
सहायक कलक्टर जायल

निर्णय आज दिनांक 09.08.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय के मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सुरेश कुमार प्रथम)

सहायक कलक्टर जायल  
सहायक कलक्टर जायल  
(प्र. प्र. जो.) जायल (नाथ)